रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

#### भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-01022023-243322 SG-DL-E-01022023-243322

### असाधारण EXTRAORDINARY

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

#### भाग IV PART IV

## राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

#### विकास विभाग

#### अधिसूचना

दिल्ली, 11 जनवरी, 2023

फा. सं. 53(12)/विका0(मुख्य0)/2007/80.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त 'शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा डी0ओ0पीटी कार्यालय ज्ञापन सं० एबी—14017/6 /2009 —स्था0 (आरआर) दिनांक 30.04. 2010 तथा विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में समूह 'घ' के पद हेतु समय—समय पर जारी समस्त पूर्ववर्ती भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत विकास विभाग में मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद के लिए भर्ती पद्धित को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ**:— (1) इन नियमों को विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) भर्ती नियमावली, 2022 कहा जायेगा।
  - (ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

671 DG/2023 (1)

- 2 पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा पे बैन्ड और ग्रेड पे /वेतनमान :— उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा पे बैन्ड तथा ग्रेड पे /वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि :— उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. अयोग्यता :- ऐसा कोई भी व्यक्ति,
  - (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति / पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या
  - (ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है।

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

'शर्त यह है कि यदि संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विषेष आधार है / हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

- 5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
- 6. बचाव:— इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्गों, तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

# अनुसूची

			<del></del>
1.	पदनाम	:	मल्टी टास्किंग स्टाफ
2.	पदों की संख्या	:	306 (2022)′
			' परिवर्तन कार्यभार के आधार पर निर्भर है
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर : 1
			(18000-56900 / -रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु	:	18—25 वर्ष के बीच
	सीमा		<b>टीप – 1</b> आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक  तिथि
			डीएसएसएसबी / सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी
			यदि भर्ती रोजगार केन्द्र के माध्यम से की जाती है तो आयु सीमा
			निर्धारित करने की निर्णायक तिथि वह होगी जिसे रोजगार केन्द्र में
			नाम प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि माना गया है ।
			in xight art i ar oil the thin hall e i
			- <b>-</b>
			टीप – 2 यदि भर्ती डीएसएसएसबी या अन्य समान भर्ती एजेंसियों
			के माध्यम से की जाती है तो उस स्थिति में आयु सीमा 18–27 वर्ष
			के रूप में निर्धारित की जा सकती है अन्यथा 18—25 वर्ष तक रखा
			जा सकता है ।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित	:	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्थान से कम से कम मैट्रिकुलेषन
	शैक्षिक तथा अन्य योग्यताऍ		अथवा इसके समकक्ष उत्तीर्ण
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के	:	लागू नहीं
	लिए निर्घारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु		
	सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी		

	लागू होगी।		
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या	:	सीधी भर्ती द्वारा
	पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/		
	स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से		
	भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत		
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /		लागू नहीं
	स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड		•
	जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/		
	स्थानान्तरण किया जाना है		
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति	:	'ग' वर्गीय विभागीय स्थायीकरण समिति
	हो, तो इसकी संरचना क्या है?		(स्थायीकरण पर विचारार्थ) :
	·		1. प्रधान सचिव / सचिव (प्र0सु0) — <b>अध्यक्ष</b>
			2. प्रधान सचिव—सह—आयुक्त (विकास) — <b>सदस्य</b>
			3. उप सचिव (सा.प्र.वि.) – <b>सदस्य</b>
			टीप – समिति के अधिसूचित अध्यक्ष का समिति के अन्य सदस्य से
			कनिष्ठ होने की स्थिति में स्थाईकरण के विचारार्थ विभागीय
			स्थाईकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य
			करेगा ।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए	:	लागू नहीं ।
	संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श		α
	लिया जाना है।		

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, राम प्रसाद मीना, विशेष विकास आयुक्त

# DEVELOPMENT DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 11th January, 2023

**F. No. 53(12)/Dev.(HQ)/2007/80.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in accordance with DoPT O.M.No.AB-14017/6/2009-Estt.(RR) dated 30.04.2010 and in supersession of all previous recruitment rules issued time to time for the post of Group "D" in the Development Department, Government of National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment for the post of Multi-Tasking Staff (MTS) in the Development Department under the Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

- 1. Short title and commencements (i) These rules may be called the Development Department, Government of National Capital Territory of Delhi, Multi-Tasking Staff (MTS) Recruitment Rules, 2022. (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and pay band and grade pay/scale of pay- The number of the said post, its classification and pay band and grade pay scale of pay attached there to shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification- No person-
  - (i) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a Spouse living, or
  - (ii) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a Marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government of National Capital Territory of Delhi may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax-** Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

1.	Name of the post	Multi-Tasking Staff
2.	Number of Posts	306* (2022)
		*Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted,
		Non-Ministerial
4.	Level in the Pay Matrix	Level -1
		(Rs. 18000-56900)
5.	Whether Selection or Non-Selection Post	Not applicable.
6.	Age limit for Direct Recruits	Between 18-25 Years.
7.	Education & other qualification required	Note: 1. The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by DSSSB/ Competent Authority.  In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.  Note: 2. If recruitment is made through DSSSB or any other similar recruitment agencies, in that case the age limit may be prescribed as 18-27 years otherwise the same may be kept as 18-25 years.  Minimum matriculation or its equivalent pass from recognized
7.	for Direct Recruits.	Board/ Institution.
8.	Whether age & educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Not applicable
9.	Period of probation, if any	Two years
10.	Method of recruitment whether by Direct Recruitment or by Promotion.	By direct recruitment.
	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which Promotion/Deputation/Absorption to be made.	Not applicable
12.	If a DPC exists, what is its composition?	Composition of Group 'C' Departmental Confirmation Committees (for considering confirmation):  1. Principal Secretary/Secretary (AR) — Chairperson  2. Pr. Secycum-Commissioner (Dev.) — Member  3. Dy. Secretary (GAD) — Member
		<b>Note:</b> Senior most member of the Departmental Confirmation Committee for considering confirmation shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Committee.
13.	Circumstances in which UPSC to be	Committee for considering confirmation shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Committee

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAM PRASAD MEENA, Special Development Commissioner